न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकड़ी जिला अजमेर (राजस्थान

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 51/2019

उदय लाल पुत्र औकार कौम गूजर निवासी ग्राम सावर तहसील सावर जिला अजमेर

——प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार(भू.अ.)तहसील सावर जिला अजमेर

——अप्रार्थी

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

वादपत्र अंतर्गत धारा 136 राज0भू राजस्व अधिनियम

उपस्थितः:– श्री भवरलाल शर्मा वकील– प्रार्थी
तहसीलदार सावर–पैरोकार सरकार

आदेश

दिनांक 08.01.2020

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी उदयलाल पुत्र औकार गूर्जर की ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम सावर की आराजी खसरा नंबर 1853 रकबा 94 एयर प्रार्थी की खातेदारी की है जिसके पुराने नंबर खसरा नंबर 1449 रकबा 5.17.10बीघा है जिसमे मेरी आराजी के नक्शे को कम करके खसरा नंबर 1852 रकबा 34 एयर डालकर अन्य के खाते मे दर्ज कर दिया है जबकि पुराना रकबा नया रकबा बराबर है जिसे दुरूस्त किया जावे।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र की रिपोर्ट तहसीलदार केकड़ी से करवायी गयी तहसीलदार केकड़ी ने अपने पत्र कमांक/भूअ/2009/5126 दिनांक 25.11.2009 तथा पत्र कमांक/भू.अ./2011/2112 दिनांक 26.04.2011से प्राप्त हुई है का अवलोकन किया। जिससे पाया जाता है कि खसरा नंबर 1852 व 1853 मेड़ टूटकर एक है तथा यह आराजी उदयलाल पुत्र औंकार के कब्जे काश्त मे है। तहसीलदार केकड़ी की रिपोर्ट पत्र कमांक/भू.अ./11/2112 दिनांक 28.11.11 के अनुसार भी तहसीलदार केकड़ी ने अपनी रिपोर्ट मे बताया कि "रिपोर्ट पटवारी हल्का गत नक्शें की प्रति के अनुसार मौका पर्चा के खसरा नंबर 1852 साबिक 1449 व खसरा नंबर 1848 साबिक खसरा नंबर 1451 बनाया जाना बताया है जो दुरूस्त किया जाना उचित है" इसी तरह तहसीलदार केकड़ी ने अपनी रिपोर्ट पत्र कमांक/भू.अ./09/5126 दिनांक 25.11.2009 का अवलोकन किया गया जिससे पाया गया कि खसरा नंबर 1853 व 1852 जिसका रकबा कमशः 0.60,0.34है0 है पर खातेदार उदयलाल पुत्र औंकार कौम गूजर का कब्जा काश्त है। मिलान क्षैत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नंबर 1451 के हाल खसरा नंबर 1848 व 1850 होना चाहिए परन्तु खसरा नंबर 1851 को साबिक खसरा नंबर 1448 से बनना दर्शाया गया है जो सही है व रेकार्ड के अनुसार है जबकि खसरा नंबर 1852 साबिक खसरा नंबर 1451 से बनना मिलान क्षैत्रफल के अनुसार बताया है जो गलत है खसरा नंबर 1852 साबिक खसरा नंबर 1449 से बनना चाहिए था। साबिक खसरा नंबर 1451 के नक्शा अनुसार हाल खसरा नंबर 1850,1849,1848 बनने चाहिए परन्तु मिलान क्षैत्रफ लमे हाल खसरा नंबर 1848 को साबिक खसरा नंबर 1455 से बनाया जाना अंकित है जो गत नक्शा व मौके के अनुसार गलत है। अतः खसरा नंबर 1852 साबिक खसरा नंबर 1449 से व 1848 साबिक खसरा नंबर 1451 से बनाया जाने हेतु तहसीलदार केकड़ी द्वारा प्रस्तावित किया गया है।

मैने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की बहस सुनी। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 व सपठित धारा 131 मे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ग्राम सावर के खसरा नंबर 1852 साबिक खसरा नंबर

बनना चाहिए था। तहसीलदार केकडी द्वारा भी इसी आशय से रिपोर्ट प्रस्तुत की है। वर्तमान मे ग्राम सावर तहसील क्षैत्र सावर के अंतर्गत आता है। अतः तहसीलदार सावर को आदेश दिए जाते है कि खसरा नंबर 1852 रकबा 0.34 है0 को नक्शा ट्रेस से विलोपित कर खसरा नंबर 1853 रकबा 0.94है0 मे सम्मिलित कर दिया जावे।

आदेश खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिह पुरोहित)
उपखण्ड अधिकारी केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
केकड़ी (अजमेर)

उपखण्ड अधिकारी केकड़ी (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Surendra Singh Purohit
Date: 2020.01.17 18:32:10 IST
Reason: SelfAttested
Location: